6.84 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर की आइआइटी में पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए आयोजित ग्रेजुएट एप्टिट्यूट टेस्ट (गेट) परीक्षा दी। यह जानकारी आइआइटी दिल्ली प्रशासन ने दी।

न्यूज गैलरी

देश समय बर्बाद नहीं करेगा, आत्मविश्वास से बढ़ेगा : मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछली सरकारों ने देश की कर प्रणाली में किसी तरह की छेड़छाड़ से परहेज किया, लेकिन वर्तमान सरकार इसे ज्यादा नागरिक केंद्रित बना रही है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे देश के विकास के लिए अपने बकाये का भुगतान करें। एक अंग्रेजी समाचार चैनल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग हमेशा ही कर चोरी का रास्ता तलाश लेते हैं और इसका दुष्परिणाम ईमानदार लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय था कि देश में सिर्फ 2,200 लोगों ने ही अपनी आय एक करोड़ रुपये सालाना घोषित की थी। मोदी ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट से पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। (प्रेट्र)

शिकायत पंजीकरण में 10 गुना इजाफा

नई दिल्ली : वर्ष 2014 के बाद शिकायत प्रकोष्ठ में जन शिकायतों के पंजीकरण में करीब दस गुना इजाफा हुआ है। पहले यह संख्या दो लाख से कम थी, जो अब करीब 19 लाख हो गई है। इससे जाहिर होता है कि विभाग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि शिकायतों की संख्या में इसलिए इजाफा हुआ है, क्योंकि विभाग उनका सही तरीके से निस्तारण कर रहा है। इससे जनता में विश्वास बढ़ा है। शिकायतों के निस्तारण की दर 95 फीसद से ज्यादा हो चुकी है, जो विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। ई-ऑफिस तथा केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिंह ने राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को जितना जल्द हो सके ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने का आह्वान किया। (प्रेट्र)

वाराणसी और इंदौर के बीच प्राइवेट ट्रेन 20 से

नई दिल्ली : दो प्राइवेट ट्रेनों के सफल संचालन के बाद आइआरसीटीसी रेलवे नेटवर्क में तीसरी ऐसी ट्रेन चलाने जा रही है। वाराणसी-इंदौर मार्ग पर 20 फरवरी से काशी महाकाल एक्सप्रेस की सेवा शुरू होगी। आइआरसीटीसी की यह पहली रात्रिकालीन सेवा होगी। आइआरसीटीसी अभी लखनऊ-नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद-मुंबई तेजस संचालित कर रही है। सुपर फास्ट काशी महाकाल एक्सप्रेस 16 फरवरी को लांच की जाएगी। (प्रेट्र)

पूरी तरह सुरक्षित है एनआरसी डाटा

गृह मंत्रालय ने कहा ▶ विप्रो से अनुबंध खत्म होने के कारण ऑफलाइन हो गया है डाटा

अधिकारियों ने जल्द ही व्यवस्था पुनर्बहाल होने की जताई उम्मीद

- एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने कहा, इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना नहीं
- कहा, अनुबंध नवीनीकरण के बारे में हो गया है फैसला
- उम्मीद है कि दो-तीन दिनों में लोगों को डाटा मिलने लगेगा

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ किया कि असम में एनआरसी का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, कुछ तकनीकी मसले सामने आए हैं और उन्हें जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उन रिपोर्ट पर सफाई दी है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आधिकारिक वेबसाइट से इसकी अंतिम सूची को ऑफलाइन कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'एनआरसी डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। क्लाउड पर कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आई हैं। उनका जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा।' एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने स्वीकार किया कि डाटा ऑफलाइन हो गया है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना नहीं है। उन्होंने बताया कि आइटी कंपनी विप्रो ने भारी भरकम डाटा के लिए क्लाउड सेवा मुहैया कराई थी। उसका अनुबंध पिछले साल 19 अक्टूबर तक था। एनआरसी के पूर्व संयोजक ने अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया। विप्रो की तरफ से निलंबित किए जाने के कारण 15 दिसंबर से डाटा ऑफलाइन हो गया है।

शर्मा ने बताया कि राज्य संयोजक समिति ने 30 जनवरी की बैठक में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने का फैसला किया है। इसके लिए फरवरी के पहले हफ्ते में विप्रो को पत्र लिखा गया है। शर्मा ने कहा, 'जब विप्रो डेटा को ऑनलाइन कर देगी तो जनता के लिए यह उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले दो-तीन दिनों में लोगों को डाटा उपलब्ध हो जाएगा।'

उधर, विप्रो ने एक बयान में कहा कि उसने जनवरी के अंत तक मुफ्त होस्टिंग सेवा उपलब्ध कराई। अगर अनुबंध का नवीनीकरण हो जाता है तो वह आगे भी यह सेवा जारी रखेगी। दूसरी तरफ, इस सिलसिले में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में आवेदन देकर सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत आइटी कंपनी के साथ अनुबंध की जानकारी मांगी गई है।

पिछले साल जारी हुई थी सूची

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद पूरी जानकारी एनआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। राज्य के करीब 19 लाख लोगों के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। एनआरसी के पूर्व राज्य संयोजक प्रतीक हजेला का पिछले साल नवंबर में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश तबादला कर दिया गया था।

खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मांगा था और समय

प्रथम पृष्ठ से आगे

कंपनी ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्राधिकरण से समय विस्तार मांगा था। रिशेड्यूलमेंट पॉलिसी के तहत उसे समय विस्तार दिया गया। 2017 में कंपनी ने बकाया धनराशि के सापेक्ष तीन सौ करोड़ रुपये और जमा कराए थे लेकिन शेष किस्तों का समय से भुगतान नहीं किया। सौ करोड़ की बैंक गारंटी समेत करीब एक हजार करोड़ रुपये बकाया होने पर प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बुधवार को भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया।

फार्मूला वन, क्रिकेट स्टेडियम के अलावा दस आवासीय परियोजनाएं : एसडीजेड में फार्मूला वन, क्रिकेट स्टेडियम के अलावा जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दस आवासीय परियोजनाएं हैं। इसमें कंट्री होम्स एक व दो, क्राउन, ग्रीनक्रेस्ट होम्स, बॉगेनविलाज, विले एक्सपेंजा, स्पोर्ट्स विले, कासिया, कोवा व बुद्ध सर्किट स्टूडियोज शामिल हैं। इसमें 4605 फ्लैट व भूखंड बेचे जा चुके हैं। कंपनी 2433.41 करोड़ के सापेक्ष निवेशकों से 1900 करोड़ रुपये वसूल भी चुकी है। लेकिन आवंटन रद होने के बावजूद निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे। प्राधिकरण खाली जमीन का नए सिरे से आवंटन कर जुटाई गई पूंजी से अपनी धनराशि की वसूली के अलावा अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर निवेशकों को फ्लैट, भूखंड पर कब्जा देगा। इसके अलावा जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ने जिन बिल्डरों को जमीन बेची है, उनके हितों को भी प्राधिकरण सुरक्षित करेगा। उनकी बकाया धनराशि प्राधिकरण वसूल करेगा।

बरकरार रहेगा फार्मूला वन और क्रिकेट स्टेडियम : आवंटन रद होने के बावजूद फार्मूला वन और क्रिकेट स्टेडियम का स्वरूप बरकरार रहेगा। प्राधिकरण इनके संचालन के लिए निजी कंपनी के साथ समझौता करेगा। इसके लिए वैश्विक निविदा जारी हो सकती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताई उम्मीद लेकिन जमीनी हकीकत अभी दूर

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- भारत व अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर असमंजस
- राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत, फायदा होने पर ही करेंगे समझौता

डोनाल्ड ट्रंप फाइल फोटो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर के संकेत दिए हैं। इसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उससे तो लगता है कि इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बीच असमंजस हुआ है। दोनों पक्ष अपने हितों को लेकर अडिग हैं। ट्रंप ने कहा है, 'अगर हमारे हितों के मुताबिक होगा तो हम समझौता करेंगे।'

मंगलवार को अमेरिका और भारत की सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के नई दिल्ली व अहमदाबाद आने का एलान किया गया था। बुधवार को पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जानकारी को पुख्ता किया और कहा, वह भारत जाने को उत्सुक हैं। वहीं पीएम मोदी ने उनके भव्य स्वागत की बात कही है। दोनों नेताओं की तरफ से बेहद उत्साह दिखाने के बावजूद कारोबारी समझौते को लेकर चल रही बातचीत अभी तक आम सहमति के मुकाम पर नहीं पहुंच सकी है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कई मुद्दों पर अड़चन बनी हुई है। अमेरिकी रुख इस बात से समझा जा सकता है कि जिस दिन उसने ट्रंप के भारत दौरे की घोषणा की है उसी दिन भारत को उस सूची से अलग हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे विकासशील देशों से होने वाले आयात को बढ़ावा दिया जाता है। अमेरिका ने पिछले साल ही भारत को इस सूची से हटाने का फैसला कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच इसके पहले सितंबर, 2019 में ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात कही गई थी। तब न्यूयॉर्क में कई दौर की बातचीत के बावजूद अमेरिका से भारत को होने वाले कई उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद कहा गया कि 2019 के अंत तक समझौता होगा। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नई दिल्ली प्रवास के दौरान समझौता होगा। है।

कृषि-आटोमोबाइल बाजार खोलने पर दोनों तरफ से दबाव : दोनों देश एक-दूसरे से अपने कृषि व इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सीमा शुल्क घटाने की मांग कर रहे हैं। भारत चाहता है कि ट्रंप प्रशासन उसके स्टील व एल्यूमिनियम उत्पादों पर लगाए गए भारी आयात शुल्क को कम करने के साथ ही उसके कृषि व आटोमोबाइल उत्पादों के लिए अपने बाजार और खोले। दूसरी तरफ अमेरिका का आरोप है कि भारत उसके कृषि व आटोमोबाइल उत्पादों को जान बूझ कर हतोत्साहित कर रहा है और उन पर ज्यादा सीमा शुल्क लगाता है। भारत की एक दूसरी मांग जीएसपी के तहत अपने उत्पादों को फिर से बहाल करने को लेकर है। अमेरिकी सरकार विकासशील देशों के आयात को बढ़ावा देने के लिए जीएसपी सुविधा देती है।

बदलाव की दहलीज पर हैं भारतीय सशस्त्र बल : सीडीएस रावत

- बोले, अब भी छद्म युद्ध और सीमा पार आतंकवाद जैसी अहम सुरक्षा चुनौतियां

बिपिन रावत फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बल बदलाव की दहलीज पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सामने अब भी छद्म युद्ध और सीमा पार आतंकवाद जैसी अहम सुरक्षा चुनौतियां हैं।

एक अंग्रेजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने इस आलोचना को भी खारिज किया कि सशस्त्र बल जम्मू-कश्मीर में लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत और आतंकवाद के खतरों पर विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में कट्टरपंथी सोच बदलने वाले शिविर होने संबंधी विवादित टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि लोगों का उनके विचारों के आधार पर वर्गीकरण और युवाओं की कट्टरपंथी सोच को बदलने के अथक प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन। उन्होंने कहा, 'जब मैंने शिविर कहा तो मेरा मतलब लोगों के समूह से था।' पिछले महीने रायसीना संवाद में अपने संबोधन में जनरल रावत ने कहा था कि 10 और 12 साल आयु के लड़के-लड़कियों को घाटी में कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। इसे चिंता का विषय बताते हुए उनका कहना था, 'हमारे देश में कट्टरपंथी सोच को बदलने वाले शिविर चल रहे हैं।'

उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश के बारे में जनरल रावत ने कहा कि पश्चिम एशिया की तरह भारत के निकट पड़ोसियों से इतर घटनाएं देश के सुरक्षा हितों से टकरा सकती हैं। उन्होंने कहा, 'भारत को वैश्विक शांति के संदर्भ में बड़ी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। हमें अपना प्रभाव बढ़ाना होगा।' यह पूछे जाने पर कि क्या सीडीएस का पद सृजित करने से नौकरशाही की एक और परत बनी है, इस पर पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि यह लंबे समय से अटका प्रस्ताव था जिसका मकसद तीनों सेनाओं के कामकाज में ज्यादा एकीकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सीडीएस और रक्षा सचिव दोनों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं और दोनों सेना में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा, 'भारतीय सशस्त्र बल बदलाव के मोड़ पर हैं। अगर हम युद्ध के भविष्य को देखें तो सेना को और मजबूत करना होगा। हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता है, न कि संख्या।' जनरल रावत ने अलग लॉजिस्टिक कमांड के साथ-साथ वायु रक्षा कमांड की योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'हमारा ध्यान संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर होगा।' सीडीएस ने यह भी कहा कि सशस्त्र बल चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं।

चीन से प्रतिस्पर्धा पर जनरल रावत ने कहा, 'यह उनके और हमारे बीच नहीं है। चीन की महत्वाकांक्षा वैश्विक शक्ति बनना है। हमारी महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय ताकत बनने की है। हमें हमारी सीमाओं, हमारे प्रायद्वीप, हमारे द्वीपों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों के लिए तैयार होना होगा।'

मिलिंद देवड़ा व पवन खेड़ा बोले शीला के दौर में मिले अच्छे वोट

मिलिंद देवड़ा

पवन खेड़ा (दोनों फाइल फोटो)

प्रथम पृष्ठ से आगे

शीला की विरासत को ही कांग्रेस ने चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था और इसीलिए खफा पार्टी नेताओं ने चाको पर सीधे हमला बोल दिया। कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शीला दीक्षित एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ और प्रशासक थीं। उनके कार्यकाल में दिल्ली पूरी तरह बदल गई। उनका दौर कांग्रेस का सबसे मजबूती का वक्त था। दीक्षित ने कांग्रेस को अपना पूरा जीवन दिया और मौत के बाद उन पर हार का दोष मढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। शीला के सहयोगी रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी चाको को आइना दिखाते हुए कहा कि 2013 में शीला के दौर में कांग्रेस हारी, मगर उसे 24 फीसद से अधिक वोट मिले। 2015 के चुनाव में वह सूबे में नहीं थीं।

2019 के लोकसभा चुनाव में लौटीं तो पार्टी को 22 फीसद से ज्यादा वोट मिला जो 2020 के इस चुनाव में लुढ़ककर चार फीसद पर आ गया है। घिरने के बाद शाम को चाको ने सफाई दी कि शीला दीक्षित का कार्यकाल शानदार रहा था और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेकर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

दूसरे राज्य से भी अपने राज्य के चुनाव में कर सकेंगे मतदान : अरोड़ा

- आइआइटी मद्रास की मदद से आयोग तैयार कर रहा प्रणाली
- मतदान के लिए लोगों को निर्धारित स्थल तक जाना होगा
- मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं

सुनील अरोड़ा। फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आयोग एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में जुटा है जिससे आने वाले समय में दूसरे राज्य में काम करने वाले लोग वहीं से अपने राज्य के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि लोग अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें निर्धारित स्थल तक जाना होगा। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के अनुसार निर्वाचन आयोग में उनके साथी मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के साथ मिलकर एक 'ब्लॉक चेन' सिस्टम विकसित करने में जुटे हुए हैं। इस सिस्टम से चेन्नई में काम करने वाला राजस्थान का कोई व्यक्ति तमिलनाडु की राजधानी में रहते हुए ही अपने राज्य में हो रहे चुनावों (लोकसभा, विधानसभा या निकाय) में वोट डाल सकता है।

अरोड़ा ने बुधवार को एक कार्यक्रम में एक बार फिर दोहराया कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। ऐसे में मतदान के लिए मतपत्र की ओर लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार आयोग देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चुनाव सुधारों और आचार संहिता पर बातचीत करेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दिन ब दिन संवाद का रूप बिगड़ता जा रहा है और इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कार या पेन की तरह इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में खराबी तो आ सकती है, लेकिन इसमें गड़बड़ी पैदा नहीं की जा सकती है। उनका कहना था कि ईवीएम का इस्तेमाल पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतें ईवीएम को मतदान के लिए सही ठहरा चुकी हैं।

क्या है ब्लाक चेन : ज्यादा संख्या में रिकार्ड्स रखने की ऐसी व्यवस्था जिसमें हर रिकार्ड की सूचना एक दूसरे से जुड़ी होती है।

आयुष्मान भारत के लाभार्थी पाएंगे15 लाख तक की मदद

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरएएन की योजना के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीमा कार्यक्रमों के विभिन्न पैकेजों के दायरे में नहीं आने वालों और महंगे उपचार की जरूरत वाले आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) कार्यक्रम के तहत 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों को उपचार नहीं मिलने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सरकारी अस्पतालों, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, व्यय विभाग और बीमा कार्यक्रम लागू करने वाले शीर्ष संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को पत्र जारी किया गया है।

पत्र में कहा गया है, 'यदि चिकित्सा परामर्श के तहत सुझाया गया उपचार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के सूचीबद्ध पैकेज के तहत नहीं आता है तो आरएएन योजना से 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता योजना लाभार्थियों को दी जा सकती है।' पत्र में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में लाभार्थियों को संबंधित सरकारी अस्पतालों से प्रमाणित किया जाएगा कि बीमारी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर योग्य नहीं है। इसलिए, मरीज को आरएएन के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराने की अनुमति मिलनी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और एनएचए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत वंचित उपचार वाले मरीजों को आरएएन कार्यक्रम के तहत कवर किया जा सकता है। उन्होंने मंत्रालय का ध्यान मरीजों के ऐसे मामलों की ओर दिलाया था जिनका पीएमजेएवाई के तहत इलाज से मना कर दिया गया क्योंकि ब्लड कैंसर, लिवर से जुड़ी बीमारी जैसे मामले कार्यक्रम के तहत दर्ज 1393 चिकित्सा पैकेज में नहीं आते।

बदलाव

अदालती कार्यवाही के प्रसारण की नजीर बनाने जा रही है कोलकाता हाई कोर्ट, एकल पीठ ने आरंभिक सुनवाई में इस मांग को खारिज कर दिया था

पहली बार किसी मुकदमे की सुनवाई की होगी लाइव स्ट्रीमिंग

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पारसी महिला की अपील को स्वीकारते हुए कलकत्ता हाई कोट ने दिया निर्देश
- सोशल नेटवर्किंग साइट यू ट्यूब पर मुख्य हिस्सों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, याचिकाकर्ता उठाएगा खर्च

प्रतीकात्मक फोटो

लगभग दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई के सीधे प्रसारण या इंटरनेट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि उसके बाद से भारत की न्याय प्रक्रिया में कभी ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया गया। लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट इस मुद्दे पर नजीर पेश करने जा रहा है। एक पारसी महिला द्वारा उसके नाती और नतिनी को पारसी धर्मस्थल (फायर टेंपल) में प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर मामले की पूरी सुनवाई की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करते हुए संभवतः यह देश का पहला मामला होगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग सुनवाई के मुख्य हिस्सों की होगी और इसका पूरा खर्च याचिकाकर्ता उठाएगा। बता दें, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह के मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा और किन मामलों का नहीं।

यह है मामला : प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पारसी एन मेहता व उनकी बेटी शनाया मेहता व्यास ने दायर किया है। शनाया का पति पारसी नहीं है, ऐसे में पारसी परंपरा के अनुसार उसे अग्नि मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता फिरोजी इदुलजी ने कहा कि पारसी परंपरा के अनुसार जाति से बाहर शादी करनेवालों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होता। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरा पारसी समाज यह सुने और देखे कि कोर्ट इस मामले में क्या राय देता है। इसलिए इस मामले के लाइव प्रसारण की मांग रखी है।

अभी तय नहीं सुनवाई की तारीख : मामले में बचाव पक्ष स्वर्गीय इरवड धनजीभाई बेरामजी मेहता की जोरास्ट्रीयन अतश अदरम ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का एक हिस्सेदार पारसी जोरास्ट्रीयन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता ने भी मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आरंभिक सुनवाई में इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला ने दो जजों की पीठ में अपील की। बुधवार को न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय और न्यायाधीश कौशिक चंद की पीठ ने मामले की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग का निर्देश दिया। फिलहाल मामले को एकल पीठ को लौटा दिया गया है और सुनवाई की तारीख बाद में मुकर्रर होना है। पीठ ने कहा कि पूरी दुनिया इस मामले की सुनवाई देख और सुन सके, इसलिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया गया है।

2018 में ही सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में दे चुका है स्पष्ट व्यवस्था

26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सुनवाई के लाइव प्रसारण की मांग करते हुए दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसके पक्ष में फैसला सुनाया था। अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जीवाणुओं के नाश के लिए सूर्य की किरण जरूरी है, उसी तरह न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लाइव प्रसारण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इससे कानून के विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी यह जान पाएंगे कि अदालतों में कैसे मामलों की सुनवाई होती है और किस तरह से सवाल-जवाब होता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी